

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-दानापुर।

निविदा आमंत्रण सूचना (संख्या:-एम0आर0-3054-14/2017-18)

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से गैर योजना शीर्ष 3054 एम0 आर0 योजना अंतर्गत पथों के मरम्मत कार्य हेतु ग्रामीण कार्य विभाग में उचित श्रेणी में निबंधित सवेदकों से प्रतिशत दर पर ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

Sl. No.	Name of Work	Length (K.M.)	Estimated Cost (Lakh)	EMD (Lakh)	Cost of BOQ (in Rs.)	Date of Completion	Amount payable to
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर कैम्प बिहटा पटना स्थित मुख्य सड़क से जोड़नेवाली कैम्प के सम्पर्क पथ	2.85	30.61900	0.613	10000	15 दिन	E.E.R.W.D. Works Div.- Danapur

- सभी निविदा प्रतिशत दर पर ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है। ई-निविदा पत्र वेबसाइट से प्राप्त <http://pmgsytendersbih.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की शुद्धि पत्र वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
- 50 लाख रुपये से कम राशि के लिये एकल एवं 50 लाख से ऊपर के कार्यों के लिये दो लिफाफा पद्धति से ई-निविदा आमंत्रित किया जा रहा है जो अन्ततः लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-2 पर अंकित किया जायेगा। दो लिफाफे वाले निविदाओं (50 लाख से ऊपर की राशि के लिये) में एक तकनीकी बीड होगा जिनमें तकनीकी बीड से संबंधित निम्न वर्णित कागजातों(मूल में) को स्कैन कर के अपलोड करना होगा।
  - ग्रामीण कार्य विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र
  - अद्यतन लेबर लाइसेन्स
  - वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण-पत्र
  - अद्यतन वाणिज्यकर/वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकारों के द्वारा एकरारनामा से पूर्व देना आवश्यक होगा।
  - अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र
  - पैन कार्ड
  - अभियंत्रण ईकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ प्रमाण पत्र
  - यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र/संयंत्र उपलब्ध कराने का प्रतिशपथ पत्र, साथ ही व्यवहृत होने वाले यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण पत्र
  - समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा नये निबंधित निविदाकारों द्वारा किसी अन्य कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंको से कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र
  - विगत पाँच वर्षों का वार्षिक टर्न ओभर
  - साझेदारी फर्म/कंपनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति
  - निविदाकार के अधीन लम्बित कार्यों की राशि सहित सूची
  - अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसान विकास पत्र अथवा सावधि 1,2,3, वर्षीय जमा पास बुक के रूप में हो जो कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-दानापुर के पद नाम से प्रतिज्ञित हो मुल में समर्पित किया जायेगा। यदि इनमें कोई कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके तकनीकी बीड को अमान्य कर दिया जायेगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि लिफाफे में डालकर निश्चित रूप से निविदा खुलने के पूर्व कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- दानापुर /अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/मुख्य अभियंता-1,ग्रामीण कार्य

विभाग,पटना के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से अथवा हाथों- हाथ पहुँचाना होगा। इस कार्य में निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा।

- क) संवेदक अपना नाम अथवा फर्म का नाम लिफाफे के उपर नहीं लिखेंगे।
- ख) ई-निविदा जमा करने पर एक पावती(Acknowledgement) प्राप्त होता है। उस पावती पर दिये गये संख्या को ही परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि डाले हुये लिफाफे के उपर लिखेंगे। यह निविदा की गोपनीयता के लिये आवश्यक है।
- ग) ई-निविदा जमा करने पर प्राप्त पावती(Acknowledgement) की छायाप्रति लिफाफे में डाल देंगे जिससे समुचित पहचान की जा सकती है।
4. वित्तीय बिड डाउनलोड किये गये परिमाण विपत्र(BOQ) में ही रेट डालकर अपलोड करना होगा। तकनीकी बिड खोलने के बाद अभिलेखों के जाँचोपरान्त मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति/अ0अ0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति (अ0अ0 को निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्दर होने पर) अंक तालिका के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलने की तिथि बाद में निर्धारित की जायेगी एवं इसकी सूचना समयानुसार दी जायेगी।
5. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहाँ व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये कार्यों, प्रगतिशील कार्यों एवं कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना है। पार्टनरशीप एवं कंपनी के मामले में क्रमशः प्राइम पार्टनर एवं प्रबंध निदेशक का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
6. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- दानापुर के पदनाम से पटना में भुगतये हो, देना होगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि परिमाण विपत्र अथवा अग्रधन की राशि के लिये नहीं ली जाएगी।
7. कार्यों की विशिष्टि के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा। नये व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी। निविदादाता द्वारा किसी व्यक्ति/फार्म से यंत्र संयंत्र की व्यवस्था संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाएगा। यदि कार्य को विशिष्टि के अनुरूप सम्पन्न करने हेतु यंत्र संयंत्रों, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इत्यादि इन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि (हॉट मिक्स प्लांट/मिनी हॉट मिक्स प्लांट, परिमाण विपत्र के अनुसार जो लागू हो, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला आदि के लिए) की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित नहीं की जाती है और इसके चलते कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता है तो संवेदक को काली सूची में डालने की कारवाई की जाएगी।
8. पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म निविदा का पात्र नहीं होगा। यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर रनिंग संवेदक है तथा उनका अलग निबंधन है, तो उनके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जाएगी।
9. प्राक्कलित राशि में कमी या बृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि तथा परिमाण विपत्र की राशि देय होगी।
10. डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त संवेदको की वेबसाईट <http://pmgsytendersbih.gov.in> पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी वे ई- निविदा की प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे।
11. निविदादाताओं को आंवटित कार्य से संबंधित सभी सामग्री के क्रय का प्रमाणक जिसमें उनके विशिष्टि का स्पष्ट वर्णन हो समर्पित करना होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।
12. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र क्रय करने के पहले कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वायरी (Quarry) की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
13. आंवटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

14. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोकनिर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-2 पर किया जायेगा। पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या ए-21 नियम-8/92-6113 (ए) दिनांक 18.11.1992 से एकरारनामा प्रपत्र एफ-2 की कंडिका संख्या 23 को विलोपित माना जाएगा।
15. विभाग के सक्षम पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
16. कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 या 60/70 पैकड बिटुमेन के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक द्वारा स्वयं अपनी लागत पर की जायेगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केबल राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घंटे के अंदर कैंशमेमो संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।
17. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरांत साप्ताहिक एवं मासिक कार्ययोजना समर्पित करना होगा एवं कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् अविलंब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट के आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत अर्थात् कार्य की तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करानी होगी। तथा इससे संबंधित फोटोग्राफ/सी0डी0संबंधित कनीय अभियंता को समर्पित करनी होगी जो उन फोटोग्राफ/सी0डी0जांचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेगा।
18. एकाधिक निविदाकारों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही दर प्रकमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
19. निविदाकार पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध हॉट मिक्स प्लांट एवं इक्वीपमेंट बैंक के विरुद्ध भी निविदा दे सकते हैं। जिसके लिए उन्हें तकनीकी बिड के साथ अपनी सहमति एवं इक्वीपमेंट बैंक के प्रबंधक की सहमति संलग्न करनी होगी।
20. तकनीकी बिड के मुल्यांकन में उसी यंत्र-संयंत्र के विरुद्ध अंक दिया जायेगा जो ग्रामीण कार्य विभाग या पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप में सत्यापित होंगे। ऐसी स्थिति नहीं हाने पर यंत्र संयंत्र(गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सूचना देकर करना होगा। सूचना देने के बाद भी जो संवेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे उनकी मशीनों के विरुद्ध कोई अंक नहीं दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि मशीन उनके पास उपलब्ध नहीं है। साथ ही यंत्र संयंत्रों का आलोक चित्र(फोटो), चेचिस संख्या एवं निबन्धन संख्या के साथ, आर0सी0 बुक(ओनर बुक/संवेदक को यंत्र संयंत्र उपलब्ध कराने वाले का ओनर बुक) का सत्यापन छायाप्रति भी समर्पित करना होगा।
21. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण में वैध अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जायेगी।
22. जिस निविदा में मूल निर्माण कार्य के साथ साथ 5 वर्षों के लिए संधारण मद का कार्य भी करने का प्रावधान होगा ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोषजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में मूल कार्य की समाप्ति के 5 वर्षों के बाद ही वापस की जायेगी।
23. (ए) यदि संवेदक निर्धारित अवधि में संबंधित अभियंताओं द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन करने में विफल होते हैं तो संवेदक को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।  
(बी) अग्रधन एवं जमानत की राशि का प्लेजिंग से संबंधित रसीद मूल में जमा करना होगा।
24. (क) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।

(ख) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पुरा करने के बावजूद, कोई निविदाकार निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि:-

- 1) निविदाकार के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरण, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।
- 11) किसी निविदाकार का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वितीय अक्षमता सिद्ध हुई हो, या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय-सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो।
- 111) निविदाकार द्वारा पूर्व में उसी कार्य हेतु Unreasonably ऊँचा या कम दर डाला गया हो, जिसके लिए उनके द्वारा नियोक्ता को कोई युक्ति पूर्ण कारण न बताया गया हो।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
26. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 10 (दस) प्रतिशत से कम दर की निविदा अमान्य होगी।
27. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। विस्तृत सूचना के लिए किसी भी कार्य दिवस की कार्यावधि में कार्यपालक अभियंता के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
28. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दे जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
29. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
30. वित्त विभाग के पत्रांक 1682 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 131 के 34 नियम ख के बाद जोड़े गये नियम ग एवं घ का अनुपालन किया जायेगा।
31. ग्रामीण कार्य विभाग, के पत्रांक 4842 दिनांक 14.11.2014 के आलोक में तकनीकी वीड का मूल्यांकन किया जायेगा। 3.1.5 निर्धारित आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।  
“ The Undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable to be inflicted upon the FIR and lawful Punishment as well as black listing”
32. ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक 32 दिनांक 05.01.2011 के आलोक में Additional Performance Guarantee लागू होगा।
33. Bitumen Price Neutralization लागू होगा।
34. E-Tendering की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु पाँचवा तल्ला, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से संपर्क किया जा सकता है।

**दूरभाष संख्या-8986915899, ई-मेल-ee.danapur.rwd@gmail.com**

ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने का समय :- 15.02.2018 09:00 बजे से 21.02.2018 को -15:00 बजे तक  
ऑन लाईन निविदा जमा करने का समय :- 22.02.2018, -15:00 बजे तक  
ऑफ लाईन निविदा जमा करने का समय :- 23.02.2018, -15:00 बजे तक  
ऑन लाईन निविदा खोलने का समय :- 23.02.2018, -15:30 बजे तक  
निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट <http://pmgsytendersbih.gov.in> पर देखा जा सकता है।  
इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <http://pmgsytendersbih.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

ह०/—

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-दानापुर।

ज्ञापांक:—...../दानापुर/दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को पॉच अतिरिक्त प्रतियों एवं सी0 डी0 के साथ प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में लगातार तीन दिनों तक प्रकाशनार्थ समर्पित।

ह०/—

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—दानापुर।

ज्ञापांक:—...../दिनांक:—.....


प्रतिलिपि:— सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/—

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—दानापुर।

ज्ञापांक:—141...../दिनांक:—05/02/18.....

प्रतिलिपि:—/जिला प्रदाधिकारी, पटना एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—दानापुर/प्रमंडलीय रोकड़पाल/प्राक्कलन पदाधिकारी/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
5.2.18

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—दानापुर।